"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163 ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 अप्रैल 2017 — वैशाख 7, शक 1939

राजभवन
रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2017

### अधिसूचना

क्रमांक 1941/एफ 1-1/2017/रास/यू.-9. — छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) में निहित प्रावधानानुसार सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर में कुलपति नियुक्ति हेतु न्यूनतम पांच व्यक्तियों का एक पेनल अनुशंसित करने हेतु माननीय कुलाधिपति द्वारा निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Serjius Minz, IAS<br>Former Additional Chief Secretary and<br>Former State Chief Information Commissioner<br>Chhattisgarh State Information Commission,<br>Raipur (C. G.) | - | कार्य-परिषद् द्वारा निर्वाचित एक व्यक्ति |
| 2. | Prof. Rajbir Singh, Director<br>Consortium for Educational Communication (CEC),<br>IUAC Campus, New Delhi. | - | अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति |
| 3. | Prof. (Dr.) Mandavi Singh<br>Vice-Chancellor, Indira Kala Sangit<br>Vishwavidyalaya, Khairagarh (C. G.) | - | कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति |

2. माननीय कुलाधिपति द्वारा Prof. (Dr.) Mandavi Singh, को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. उपर्युक्त समिति छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 (5) के अंतर्गत यह अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में माननीय कुलाधिपति को पेनल प्रस्तुत करेगी.

हस्ता./-
**(जनमेजय महोबे)**
राज्यपाल के संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.